एक नेतराम साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और दूसरा

(सिविल अपील क्रमांक 1254 वर्ष 2018)

मार्च 23, 2018

[आर के अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति]

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 - धारा 2(ई) धारा 2ए के साथ पढ़ें - योग्य सेवा - अपीलार्थी ने 22 वर्ष दैनिक वेतन भोगी तथा 3 वर्ष नियमित कार्य प्रभारी कर्मचारी के रूप में कार्य किया अर्थात् उसे सेवानिवृत्ति से 3 वर्ष पूर्व नियमित किया गया - क्या अपीलकर्ता के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने योग्य सेवा प्रदान की है अर्थात धारा 2ए के साथ पठित धारा 2(ई) में निर्दिष्ट निरंतर सेवा प्रदान की है ताकि वह राज्य से अधिनियम के तहत प्रदान किए गए ग्रेच्युटी का दावा करने के लिए पात्र हो सके - माना गया: अपीलकर्ता ने वास्तव में 25 वर्षों की अवधि के लिए कुल सेवा प्रदान की और राज्य ने वास्तव में उसकी सेवाओं को नियमित कर दिया - सेवाओं को नियमित करने के बाद, अपीलकर्ता 22 वर्षों की अवधि की गणना के लिए इसके लाभ का दावा करने का हकदार हो गया, भले ही उसने 22 वर्षों तक जिस पद और क्षमता पर काम किया हो - एक बार जब राज्य ने अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित कर दिया, जब वह राज्य सेवाओं में था, अपीलकर्ता ग्रेच्युटी राशि का दावा करने के लिए अपनी सेवा की कुल अवधि को गिनने का हकदार बन गया, बशर्ते कि उसने अधिनियम की धारा 2 ए के तहत निर्दिष्ट 5 वर्षों की निरंतर सेवा साबित की हो, जो इस मामले में, अपीलकर्ता ने विधिवत साबित कर दिया है - यह क़ानून एक कल्याणकारी कानून है जो उन कर्मचारियों के लाभ के लिए है, जो लंबे समय तक अपने नियोक्ता की सेवा करते हैं, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपीलकर्ता को स्वेच्छा से ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करे, न कि कर्मचारी को अपना वास्तविक दावा प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करे।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा: मामले में दिखाई देने वाली परिस्थितियों में, यह न्याय का मखौल होगा, यदि अपीलकर्ता को 25 वर्षों की अवधि के लिए "निरंतर सेवा" प्रदान करने के बावजूद उसके वैध ग्रेच्युटी के दावे से वंचित कर दिया जाता है, जिसे राज्य के अनुसार भी नियमित कर दिया गया है। राज्य द्वारा सेवाओं को नियमित किए जाने के बाद ग्रेच्युटी राशि का दावा करने के लिए सेवा की कुल अवधि की गणना के लिए इस सवाल का कोई महत्व नहीं है कि ऐसी सेवाओं को किस तारीख से नियमित किया गया था। वास्तव में यह राज्य ही था जिसने अपीलकर्ता की सेवा को नियमित करने में 22 साल लगा दिए और 22 वर्षों तक निर्बाध रूप से प्रति माह 2776 रुपये के अल्प वेतन के भुगतान पर अपीलकर्ता से काम लेता रहा और केवल पिछले तीन वर्षों में, राज्य ने अपीलकर्ता को प्रति माह 11,107/- रुपये का वेतन देना शुरू कर दिया। अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित करने के बाद, राज्य के पास अपीलकर्ता को ग्रेच्युटी के लाभ से इनकार करने का कोई उचित कारण नहीं था, जो अधिनियम के तहत उसका वैधानिक अधिकार था। यह एक कल्याणकारी कानून है जो उन कर्मचारियों के लाभ के लिए है, जो लंबे

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

समय तक अपने नियोक्ता की सेवा करते हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपीलकर्ता को स्वेच्छा से ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करे, न कि कर्मचारी को अपना वास्तविक दावा प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करे। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपीलकर्ता के वास्तविक दावे को राज्य द्वारा इस न्यायालय तक की कार्यवाही के हर चरण में अस्वीकार कर दिया गया और उसे इतने वर्षों तक निरर्थक मुकदमेबाजी में घसीटा गया। [पैरा 17,18,19] [687-ए-ई]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य, (2006) 4 एससीसी 1: [2006] 3 एससीआर 953 - अनुपयुक्त ठहराया गया।

फर्म कालूराम सीताराम बनाम द डोमिनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1954 बॉम्बे 50 - अनुमोदित।

केस लॉ रेफरेंस [2006] 3 एससीआर 953 को अनुपयुक्त पैरा 15 माना गया।

एआईआर 1954 बॉम्बे 50 अनुमोदित पैरा 18।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1254 वर्ष 2018

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 01.08.2014 के विरुद्ध में WA क्रमांक 240 वर्ष 2014।

किरण कुमार जयपुरियार,अंशुमान श्रीवास्तव अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

अनिरुद्ध पी. मायी, ए. सेल्विन राजा, अवनीश एम. ओझा उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रिट अपील संख्या 240 वर्ष 2014 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 01.08.2014 के विरुद्ध निर्देशित है। जिसमें उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और रिट याचिका (एल) संख्या 178 वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.12.2013 की पुष्टि की। जिसके द्वारा एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लिया और नियंत्रण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा 01.04.1986 से 23.05.2008 की अवधि के लिए ग्रेच्युटी के अपीलकर्ता के दावे की अनुमति दी गई थी।

2. अपील में शामिल संक्षिप्त विवाद की सराहना के लिए कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है।

3. अपीलकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा 01.04.1986 को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह एसडीओ (ई/एम) लाइट मशीनरी ट्यूबवेल और गेज सब-डिवीजन सकरी पुलिस स्टेशन चरकरभाटा जिला बस्तर (सीजी) के कार्यालय से जुड़ा हुआ था। इसके बाद दिनांक 06.05.2008 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को कार्य प्रभार स्थापना पर पम्प ऑपरेटर के पद पर नियमित कर दिया गया। सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता 30.07.2011 को सेवानिवृत्त हो गया।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

4. हालाँकि, अपीलकर्ता को राज्य द्वारा ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जो उसके अनुसार, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उसे देय थी। इसलिए, अपीलकर्ता ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत नियंत्रण प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे ग्रेच्युटी राशि के भुगतान के लिए प्रार्थना की।

5. आदेश दिनांक 27.03.2012 द्वारा, नियंत्रण प्राधिकारी ने आवेदन की अनुमति दी और माना कि अपीलकर्ता अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए राज्य से ग्रेच्युटी राशि का दावा करने का हकदार है। आगे यह माना गया कि अपीलकर्ता ने कुल मिलाकर 25 वर्ष और 3 महीने की सेवा (दैनिक वेतनभोगी के रूप में 22 वर्ष और 1 माह और नियमित कार्य प्रभारी कर्मचारी के रूप में 3 वर्ष और 2 महीने) प्रदान की है और इसलिए अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक वर्षों की योग्य सेवा प्रदान की।

6. राज्य ने व्यथित महसूस किया और अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर की। दिनांक 30.01.2013 के आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायालय ने राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और नियंत्रण प्राधिकरण के आदेश की पुष्टि की।

7. राज्य ने मामले को आगे बढ़ाया और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ रिट याचिका संख्या 178/2013 दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 16.12.2013 के आदेश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और नियंत्रण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों को रद्द कर दिया।

8. यहां अपीलकर्ता (कर्मचारी) ने एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित महसूस किया और डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की। आक्षेपित निर्णय द्वारा, डिवीजन बेंच ने अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसने इस न्यायालय में संबंधित कर्मचारी द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से अपील दायर करने को जन्म दिया है।

9. इस अपील में विचारार्थ जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, क्या उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश/डिवीजन बेंच) का यह मानना उचित था कि अपीलकर्ता (कर्मचारी) उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए राज्य (यहाँ प्रतिवादी) से ग्रेच्युटी का दावा करने का हकदार नहीं है? या दूसरे शब्दों में, प्रश्न विचारणीय है क्या अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 2ए के साथ पढ़ी गई धारा 2(ई) में निर्दिष्ट योग्य सेवा यानी निरंतर सेवा प्रदान करने के लिए माना जा सकता है ताकि उसे राज्य से अधिनियम के तहत प्रदान की गई ग्रेच्युटी का दावा करने के लिए पात्र बनाया जा सके।

10. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री किरण कुमार जयपुरियार और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री अनिरुद्ध पी. मायी को सुना गया।

11. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, हम अपील की अनुमति देने के इच्छुक हैं और उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश और डिवीजन

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बेंच) के आदेशों को रद्द करते हुए नियंत्रण प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को बहाल करते हैं।

12. यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता ने वास्तव में 25 वर्ष 3 महीने की अवधि के लिए, यानी 01.04.1986 से 30.07.2011 तक राज्य को कुल सेवा प्रदान की है। यह भी विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता की सेवाओं को राज्य द्वारा दिनांक 06.05.2008 के आदेश द्वारा नियमित किया गया था, यानी, अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से बहुत पहले। यह भी विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता की 25 साल और 3 महीने की सेवा अवधि अधिनियम की धारा 2-ए के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति "निरंतर सेवा" की कठोरता को पूरा करती है।

13. प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील की दलील यह थी कि अपीलकर्ता को ग्रेच्युटी राशि का दावा करने के लिए पात्र नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने अपनी सेवा की कुल 25 वर्षों की अवधि में से 22 वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में और केवल 3 वर्ष नियमित कर्मचारी के रूप में काम किया। इसी कारण से, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता को यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अधिनियम के तहत प्रावधानित 5 वर्षों की अवधि तक लगातार काम किया है ताकि वह ग्रेच्युटी का दावा करने के योग्य हो सके।

14. हम एक से अधिक कारणों से प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील की इस दलील से सहमत नहीं हैं। पहला, अपीलकर्ता ने वास्तव में 25 वर्षों की अवधि के लिए सेवा प्रदान की है; दूसरा, राज्य ने वास्तव में दिनांक 06.05.2008 को आदेश पारित करके उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया; तीसरा, सेवाओं को नियमित करने के बाद, अपीलकर्ता 22 वर्षों की अवधि की गणना के लिए इसके लाभ का दावा करने का हकदार हो गया, भले ही उसने 22 वर्षों तक जिस पद और क्षमता पर काम किया हो; चौथा, अधिनियम के तहत कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया जो अपीलकर्ता को ग्रेच्युटी का दावा करने से वंचित करता हो और न ही ऐसा कोई प्रावधान हमारे संज्ञान में लाया गया जो अपीलकर्ता को अपनी पांच साल की निरंतर सेवा की गणना के लिए अपने नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई 22 वर्षों की लंबी और निरंतर अवधि का लाभ लेने से रोकता है।

15. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को ग्रेच्युटी देने की राहत से इनकार करने के लिए सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य, (2006) 4 एससीसी 1 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने में गलती की। मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि अपीलकर्ता की सेवाओं को वास्तव में राज्य द्वारा नियमित किया गया था और इसलिए, उमादेवी (सुप्रा) में निर्धारित कानून पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। वास्तव में, उमादेवी (सुप्रा) का निर्णय भी मामलों में अंतर पैदा करता है और जहां सेवाएं नियमित हो जाती हैं, राहत से इनकार करने का उमादेवी का अनुपात लागू नहीं होगा।

16. हमारी सुविचारित राय में, एक बार जब राज्य ने अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित कर दिया, जब वह राज्य सेवाओं में था, अपीलकर्ता ग्रेच्युटी राशि का दावा करने के लिए अपनी सेवा की कुल अवधि को गिनने का हकदार हो गया, बशर्ते कि उसने अधिनियम की धारा 2 ए के

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तहत निर्दिष्ट 5 वर्षों की निरंतर सेवा साबित की हो, जिसे इस मामले में अपीलकर्ता ने विधिवत साबित किया है।

17. मामले में दिखाई देने वाली परिस्थितियों में, यह न्याय का मखौल होगा, यदि अपीलकर्ता को 25 वर्षों की अवधि के लिए "निरंतर सेवा" प्रदान करने के बावजूद ग्रेच्युटी के उसके वैध दावे से वंचित कर दिया गया है, जिसे राज्य के अनुसार भी नियमित कर दिया गया था। राज्य द्वारा सेवाओं को नियमित किए जाने के बाद ग्रेच्युटी राशि का दावा करने के लिए सेवा की कुल अवधि की गणना के लिए इस सवाल का कोई महत्व नहीं है कि ऐसी सेवाओं को किस तारीख से नियमित किया गया था।

18. वास्तव में यह राज्य ही था जिसने अपीलकर्ता की सेवा को नियमित करने में 22 साल लगा दिए और 22 वर्षों तक लगातार 2776/- रुपये प्रति माह के अल्प वेतन के भुगतान पर अपीलकर्ता से काम लेता रहा और केवल पिछले तीन वर्षों में राज्य ने अपीलकर्ता को प्रति माह 11,107/- रुपये का वेतन देना शुरू किया। अपीलकर्ता की सेवाओं को नियमित करने के बाद, राज्य के पास अपीलकर्ता को ग्रेच्युटी के लाभ से इनकार करने का कोई उचित कारण नहीं था, जो अधिनियम के तहत उसका वैधानिक अधिकार था। यह एक कल्याणकारी कानून है जो उन कर्मचारियों के लाभ के लिए है जो लंबे समय से अपने नियोक्ता की सेवा करते हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपीलकर्ता को स्वेच्छा से ग्रेच्युटी राशि का भुगतान करे, न कि कर्मचारी को अपना वास्तविक दावा प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करे।

19. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष से सहमत नहीं हो सकते हैं जो कानूनी रूप से अस्थिर है। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपीलकर्ता के वास्तविक दावे को राज्य द्वारा इस न्यायालय तक की कार्यवाही के हर चरण में अस्वीकार कर दिया गया और उसे इतने वर्षों तक निरर्थक मुकदमेबाजी में घसीटा गया।

20. वास्तव में, यह हमें फर्म कालूराम सीताराम बनाम द डोमिनियन ऑफ इंडिया (एआईआर 1954 बॉम्बे 50) के मामले में मुख्य न्यायाधीश एमसी चागला (जैसा कि वह तब थे) द्वारा की गई उपयुक्त टिप्पणियों की याद दिलाता है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने एक व्यक्तिगत नागरिक और राज्य के बीच मामले का निर्णय करते समय अपनी विशिष्ट लेखन शैली में निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियाँ कीं:

"अब, हमें अक्सर यह कहने का अवसर मिला है कि जब राज्य किसी नागरिक के साथ व्यवहार करता है तो उसे आम तौर पर तकनीकी पहलुओं पर जवाब नहीं देना चाहिए, और यदि राज्य संतुष्ट है कि नागरिक का मामला न्यायसंगत है, भले ही कानूनी बचाव उसके लिए खुला हो, तो उसे एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए, जैसा कि प्रतिष्ठित न्यायाधीशों ने कहा है"।

21. ये टिप्पणियाँ इस मामले में राज्य के खिलाफ पूरी ताकत से लागू होती हैं क्योंकि अपीलकर्ता के मामले का तकनीकी आधार पर राज्य द्वारा विरोध किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच) द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/आदेश को रद्द कर दिया जाता है और

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नियंत्रण प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों को राज्य द्वारा अपीलकर्ता को देय 25,000/- रुपये की लागत के साथ बहाल किया जाता है। ग्रेच्युटी राशि के भुगतान के साथ राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत।

22. प्रतिवादी-राज्य को अपीलकर्ता को तीन महीने के भीतर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ग्रेच्युटी राशि जारी/भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

देविका गुजराल अपील स्वीकृत की गई।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"